भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 450
19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

450. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जिस मौसम में कम मछलियां पकड़ी जाती हैं, उस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत मछुआरों के परिवारों को प्रदान की जाने वाली आजीविका और पोषण संबंधी सहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या

(ख) क्या सरकार द्वारा मत्स्य खुदरा बाजारों में मछुआरों को उचित मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या तमिनलाडु में पीएमएमएसवाई के अंतर्गत कोई आदर्श मात्स्यिकी ग्राम परियोजना आरंभ की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परषोत्तम रूपाला)

(क) : मत्स्यापालन विभाग, मत्स्यापालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) मछली पकड़ने पर प्रतिबंध / लीन अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरे परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है । इस गतिविधि के अंतर्गत प्रत्येक नामांकित लाभार्थी को प्रति वर्ष 3000/-रुपये की सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और नामांकित लाभार्थी का योगदान 1500/- रुपये वार्षिक है । संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 4500/- रुपए की यह संचित राशि प्रत्येक नामांकित लाभार्थी को मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान सालाना तीन महीने के लिए 1500/- रुपए प्रति माह की दर से वितरित की जाती है । पीएमएमएसवाई के कार्यान्वयन के विगत दो वर्षों के दौरान कुल 8,12,195 को 140.72 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ 360.99 करोड़ रुपए की कुल लागत से उपर्युक्त उल्लिखित आजीविका और पोषण संबंधी सहायता प्रदान की गई है । पीएमएमएसवाई योजना के तहत मछली पकड़ने की लीन अवधि के दौरान मछुआरों के परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण अनुबंध- I में दिया गया है ।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के माध्यम से विभाग ने चयनित थोक और खुदरा मत्स्य बाजारों से व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री और अंतर्देशीय मछलियों के विपणन मूल्यों की प्राप्ति और प्रसार के लिए वर्ष 2018 में 'मत्स्य विपणन मूल्य सूचना प्रणाली' / 'फिश मार्केट प्राइस इनफॉर्मेशन सिस्टेंम' (एफएमपीआईएस) शुरू की है । वर्तमान में, मछली की वास्तविक समय कीमत 88 खुदरा और थोक मत्स्य बाजारों से प्राप्त की जाती है और इसे एफएमपीआईएस वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाता है । इसके अलावा, एनएफडीबी की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साप्ताहिक, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है ताकि जनता और मछुआरों को मत्स्य का उचित मूल्य का पता चल सके।

(घ) और (ङ): जी नहीं, । तमिलनाडु सरकार ने पीएमएमएसवाई के तहत राज्य में मॉडल मत्स्यपालन गांव के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है ।

*****

अनुबंध- I

'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' के संबंध में 19 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए माननीय संसद सदस्य डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा प्रस्तुत किया गया लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 450 के भाग- (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

पीएमएमएसवाई योजना के तहत मछली पकड़ने की लीन अवधि के दौरान मछुआरों के परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता का राज्य-वार विवरण ।

(रु. लाख में)

क्रमांक	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**2020-21**			**2021-22**		
		वास्तविक (सं.)	**परियोजना लागत**	**भारत सरकार का हिस्सा**	**वास्तविक (सं.)**	**परियोजना लागत**	**भारत सरकार का हिस्सा**
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0.00	1000	45.00	30.00
2	आंध्र प्रदेश	0	0.00	0.00	98360	4426.20	1475.40
3	असम	20000	900.00	480.00	21000	945.00	504.00
4	बिहार	0	0.00	0.00	50000	2250.00	750.00
5	छत्तीसगढ	8000	360.00	120.00	8000	360.00	120.00
6	गुजरात	0	0.00	0.00	30000	1350.00	450.00
7	हिमाचल प्रदेश	3557	160.07	85.37	3557	160.07	85.37
8	जम्मू और कश्मीर	17396	782.82	521.88	16286	732.87	488.58
9	कर्नाटक	24003	1080.14	360.05	20414	918.63	306.21
10	केरल	0	0.00	0.00	179316	7654.20	2551.40
1 1	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	2500	112.50	75.00
12	मध्य प्रदेश	10385	467.33	155.78	11237	505.67	168.56
13	मिजोरम	6283	282.74	150.79	6283	282.74	150.79
14	उड़ीसा	12000	540.00	180.00	20000	900.00	299.97
15	पुदुचेरी	28767	1294.52	863.01	28767	1294.52	863.01
16	राजस्थान	103	3.09	1.11	2200	99.00	33.00
17	सिक्किम	0	0.00	0.00	200	9.00	4.80
18	तमिलनाडु	0	0.00	0.00	170000	7650.00	2550.00
19	तेलंगाना	2000	90.00	30.00	4000	180.00	60.00
20	त्रिपुरा	2239	67.17	53.74	4142	186.39	99.41
21	उत्तराखंड	0	0.00	0.00	200	9.00	4.80
कुल		**134733**	**6027.88**	**3001.73**	**677462**	**30070.79**	**11070.30**

*****